बिहार सरकार,
कृषि विभाग

पत्रांक– रा0खा0सु0मि0को0–15/2017– 23 /कृ0, पटना दिनांक 24/01/2019

प्रेषक,

रवीन्द्र नाथ राय,
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीरचन्द पटेल पथ, पटना।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित **#द्वारा – वित्त विभाग।**

विषय – **राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम" के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 रबी/गरमा मौसम में कुल 1650.00 लाख (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये (केन्द्रांश मद में 990.00 लाख (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये एवं राज्यांश मद में 660.00 लाख (छः करोड़ साठ लाख) रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम" के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 रबी/गरमा मौसम में कुल 1650.00 लाख (सोलह करोड़ पचास लाख) रूपये केन्द्रांश मद में 990.00 लाख (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 660.00 लाख (छः करोड़ साठ लाख) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) का उद्देश्य रबी/गरमा मौसम में दलहन फसल के आच्छादन क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि लाना है। इस योजना के कार्यान्वयन से दलहनी फसलों के आच्छादन एवं उत्पादन में वृद्धि होगी तथा इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 से कृषि उन्नति योजना (राज्य योजना) अंतर्गत रखा गया है। उक्त योजना अंतर्गत भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश मद में 60 प्रतिशत एवं राज्यांश मद में 40 प्रतिशत की राशि का प्रावधान किया गया है। उक्त योजना के लिये केन्द्रांश (60 प्रतिशत) की राशि भारत सरकार द्वारा विमुक्त है, जबकि राज्यांश (40 प्रतिशत) की राशि राज्य सरकार द्वारा विमुक्त होगी।

4. **योजना कार्यान्वयन हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण** :

   I. योजना का वर्ष 2018–19 के रबी/गरमा मौसम में कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–1 पर तथा जिलावार एवं कार्यक्रमवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य अनुसूची–2 पर अनुलग्न है। योजना का कार्यान्वयन संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अंतर्गत केन्द्रांश मद में तथा इसके समानुपातिक (40%) राज्यांश मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से सुनिश्चित किया जायेगा।

II. योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्रांश (60%) एवं राज्यांश (40%) मद में स्वीकृति हेतु स्वीकृत राशि की कोटिवार विवरणी अनुसूची– 3 पर अनुलग्न है। संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत राशि के अंतर्गत केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में स्वीकृत एवं आवंटित राशि से व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

5. <u>योजना कार्यान्वयन एजेंसी तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी</u> :

I. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत जिला स्तर पर योजना का कार्यान्वयन एजेंसी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी होंगे जो योजना के कार्यान्वयन तथा संबंधित मद में आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय के लिये पूर्णतः जबाबदेह होंगे। इनके द्वारा योजना के कार्यान्वयन हेतु आवंटित एवं व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र ससमय कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक को उपलब्ध करायी जायेगी तथा इसकी एक प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कृषि निदेशक–सह–मिशन निदेशक, रा0खा0सु0मि0, बिहार, पटना इस योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

II. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि का केन्द्रांश मद में 60% तथा राज्यांश मद में 40% के अनुसार निकासी एवं व्यय संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

III. योजना अंतर्गत गरमा मौसम में कार्यान्वित होने वाले कार्यक्रमों से संबंधित राशि की अग्रिम निकासी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जा सकेगी।

IV. योजना अंतर्गत कार्यान्वित कार्यक्रमों से संबंधित लाभान्वित कृषकों को देय अनुदान राशि का भुगतान डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) योजना अंतर्गत आर0टी0जी0एस0/ एन0ई0एफ0टी0 के माध्यम से किया जायेगा।

V. योजना अंतर्गत स्वीकृत एवं आवंटित राशि का व्यय योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अंतर्गत सुनिश्चित किया जायेगा।

VI. योजना रबी मौसम में प्राप्त होने के कारण राज्य स्तरीय राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कार्यकारिणी समिति द्वारा इसकी घटनोत्तर स्वीकृति की प्रत्याशा में योजना का कार्यान्वयन रबी/गरमा मौसम 2018–19 में कराया जा रहा है।

6. **योजना अंतर्गत कार्यघटकों का कार्यान्वयन** :– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत स्वीकृत "अतिरिक्त क्षेत्र आच्छादन कार्यक्रम" से संबंधित कार्यघटकों का कार्यान्वयन अनुसूची–5 में अनुलग्न दिशा–निदेशों के आलोक में संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

7. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (दलहन) अंतर्गत स्वीकृत योजना के लिये केन्द्रांश मद में 990.00 लाख रूपये एवं राज्यांश मद में 660.00 लाख रूपये कुल 1650.00 लाख रूपये की कार्ययोजना की स्वीकृति दी गयी है।

8. स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन एवं व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार है :

(राशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	कार्यक्रम	व्यय की स्वीकृति हेतु स्वीकृत राशि		
		केन्द्रांश	राज्यांश	कुल
1	अ0क्षे0आ0का0–दलहन	990.00	660.00	1650.00

9. वित्तीय वर्ष 2018–19 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–102– खाद्यान्नों की फसलें, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0201– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड–01–2401001020201–विषय शीर्ष–0201.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0 कोड –9140	6598.58	821.700
मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–माँग संख्या–01 उपशीर्ष– 0237–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड– 01–2401007890237 विषय शीर्ष–0237.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन,पी0एफ0एम0एस0कोड –9140	1272.02	158.400
मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0259– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड–01–2401007960259, विषय शीर्ष–0259.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0कोड –9140	79.50	9.900
योग	**7950.10**	**990.00**
(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (राज्यांश)	**उपबंधित राशि**	**स्वीकृत राशि**
मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–102– खाद्यान्नों की फसलें, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0301– राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड– 01–2401001020301, विषय शीर्ष–0301.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0कोड –9140	4399.06	547.800
मुख्यशीर्ष–2401 फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष 0323–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड–01–2401007890323 विषय शीर्ष–0323.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन,पी0एफ0एम0एस0कोड –9140	848.01	105.600
मुख्यशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना, माँग संख्या–01, उपशीर्ष–0359–राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, विपत्र कोड– 01– 2401007960359 – विषय शीर्ष–0359.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0कोड –9140	53.00	6.600
योग	**5300.07**	**660.00**
योग (केन्द्रांश + राज्यांश)	**13250.17**	**1650.00**

स्वीकृत योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत बजट उपबंध में केन्द्रांश एवं राज्यांश मद में स्वीकृत राशि से कम राशि की उपलब्धता होनें के कारण निम्न विवरणी के अनुसार राशि निकासी की जायेगी :–

केन्द्रांश मद के विपत्र कोड विपत्र कोड–01–2401001020201–विषय शीर्ष–0201.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0 कोड –9140 में 316.436 लाख रूपये, विपत्र कोड–01–2401007890237 विषय शीर्ष–0237.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन,पी0एफ0एम0एस0कोड –9140 में 60.996 लाख रूपये एवं विपत्र कोड–01–2401007960259; विषय शीर्ष–0259.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0कोड –9140 में 3.813 लाख रूपये द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्राप्ति पश्चात् आवंटन निर्गत किया जायेगा। तत्काल उक्त मदों में क्रमशः 505.264 लाख रूपये, 97.404 लाख रूपये एवं 6.087 लाख रूपये की ही निकासी की जा सकेगी।

राज्यांश मद के विपत्र कोड विपत्र कोड– 01–2401001020301, विषय शीर्ष–0301.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0कोड –9140 में 210.951 लाख रूपये, विपत्र कोड–01–2401007890323 विषय शीर्ष–0323.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन,पी0एफ0एम0एस0कोड –9140 में 40.667 लाख रूपये एवं विपत्र कोड– 01–2401007960359 – विषय शीर्ष–0359.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन, पी0एफ0एम0एस0कोड –9140 में 2.542 लाख रूपये द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्राप्ति पश्चात् आवंटन निर्गत किया जायेगा। तत्काल उक्त मदों में क्रमशः 336.849 लाख रूपये, 64.933 लाख रूपये एवं 4.058 लाख रूपये की ही निकासी की जा सकेगी।

10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में योजना के कार्यान्वयन में विभागीय स्थायी वित्त समिति का अनुमोदन दिनांक 24.10.2018 को प्राप्त है। माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन पृ0सं0–36/टि. पर दिनांक–18.12.2018 को एवं माननीय वित्त मंत्री का अनुमोदन पृ0सं0–42/टि. पर दिनांक–04.01.2019 को प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा0खा0सु0मि0को0–15/2017 के पृ0सं0–47/टि. पर दिनांक 18.01.2019 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–11 दिनांक 18.01.2019 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रवीन्द्र नाथ राय)
विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–15/2017– 23 /कृ0, पटना, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajinder 24.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–15/2017– 23 /कृ0, पटना, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajinder 24.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–15/2017– 23 /कृ0, पटना, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि :– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajinder 24.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–15/2017– 23 /कृ0, पटना, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि :– सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajinder 24.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – रा0खा0सु0मि0को0–15/2017– 23 /कृ0, पटना, दिनांक 24/01/2019

प्रतिलिपि :– कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Rajinder 24.1.19

विशेष सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।